उन्हें उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिये जाने की प्रणाली अपनाने का विचार कर रही है ,

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार ने इस संबंध मे कोई ठोस योजना बनाई है ; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) उच्च अध्ययन के लिए छात्रो को छात्रवृत्ति की मौजूदा योजना के स्थान पर ऐसे छात्रो को ऋण देने की योजना प्रतिस्थागित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते ।

शिक्षा पर वार्षिक-व्यय

1293. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा पर किए जाने वाले कुल वार्षिक-व्यय का एक बडा हिस्सा उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है ;

(ख) यदि हा, तो पिछले तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष के दौरान शिक्षा पर कुल कितना धन व्यय किया गया है और उसमे से कितना धन उच्च शिक्षा पर खर्च किमा गया है ; और

(ग) क्या सरकार परिनियत संकल्प को ध्यान में रखते हुए 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए भविष्य मे उपरोक्त व्यय के अनुपात में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) उच्चतर शिक्षा पर होने वाला व्यय वर्ष 1989–90 मे सामान्य और तकनीकी शिक्षा के सशोधित प्राक्कलनों का 24.1 प्रतिशत होता है ।

(ख) वर्ष 1987–88 मे सामान्य और तकनीकी शिक्षा पर 1205.25 करोड रु० व्यय हुआ था जिसमे से 335.58 करोड रुपये उच्चतर शिक्षा पर खर्च किए गए थे । वर्ष 1988–89 के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रमश: 1598 63 करोड़ रुपये और 346.16 करोड रु० थे । वर्ष 1989–90 के लिए तदनुरूपी सशोधित प्राक्कलन 1522.08 करोड रुपए और 367 27 करोड़ रुपए थे ।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 मे प्रारभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है । प्रारंभिक शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार का परिव्यय जो 1986–87 (वास्तविक) 33.15 करोड रुपए था से बढकर वर्ष 1989–90 (संशोधित प्राक्कलन) मे 212.10 करोड रुपए हो गया है ।

संस्थाओं द्वारा सरकारी अनुदान का समुचित उपयोग किया जाना

1294. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न स्थानो पर स्थित प्रौढ शिक्षा केन्द्रो के सबध मे अनेक शिकायते मिली है ,

(ख) क्या यह सच है कि अनेक गैर-सरकारी संस्थाओ को इस संबंध में सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है किन्तु वे उसका ठीक से उपयोग नही कर रही है ;

(ग) यदि हा, तो क्या सरकार ने ऐसी सस्थाओ के विरुद्ध जाच करने के

लिए हाल ही मे कोई कार्रवाई की है, और

(घ) ऐसी सस्थाओं के नाम क्या है और वे कहा-कहा पर है तथा सरकार ने सही सस्थाओ का चयन करने तथा उनके द्वारा किए गए काम का समुचित और सही मूल्याकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए है और उनका क्या परिणाम निकला है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) वर्ष 1988–89 से 1990–91 की अवधि के दौरान 61 स्वयसेवी एजेसियो के विरुद्ध सहायता अनुदान के दुरुपयोग के सबंध मे शिकायते प्राप्त हुई है।

(ख) भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा से संबधित परियोजनाओ के कार्यान्वियन के लिए वर्ष 1987–88 से आज तक 646 स्वयंसेवी एजेसियो के लिए जारी किए गए अनुदान को अनुमोदित कर दिया है । उपरोक्त (क) मे उल्लिखित एजेसियो के सिवाय किसी और एजेसी के विरुद्ध निधियो के दुरुपयोग के संबंध मे शिकायतें प्राप्त नही हुई है ।

(ग) और (घ) उन स्वयंसेवी एजेसियो, जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है, के नाम पते व की गयी कार्रवाई के ब्यौरो से संबंधित विवरण सलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 156, अनुपत्र स. 32]

स्वयसेवी एजेसियो को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से सबंधित योजना मे सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता के मानदण्डो को विस्तार मे निर्धारित किया गया है । योजना मे यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार पात्र स्वयंसेवी एजेसियो के आवेदनो की विचारार्थ, सिफारिश का सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सीधे मदद प्रदान करने के लिए स्वयसेवी एजेसियो का भी पता लगा सकती है ।

हमने सभी राज्य सरकारो व संघ राज्य क्षेत्रो से, स्वयसेवी एजेसियो की परियोजनाओ की देखरेख करने अथवा जहा कही आवश्यक हो, वहा कार्यान्वयन से संबंधित रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया है । जब कभी मूल्याकन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तब भारत सरकार सयुक्त मूल्याकन दलों का गठन कर देती है जिसमे केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों व सघ राज्य क्षेत्रो के एक–एक प्रतिनिधि व एक बाहरी विशेषज्ञ शामिल होते हैं । इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का मूल्याकन बाह्य मूल्याकन एजेंसियो द्वारा भी किया जाता है ।

जब कभी भी शिकायते प्राप्त होती हैं, वैसे ही राज्य सरकार के माध्यम से या संयुक्त मूल्याकन दल का गठन करके शिकायतें की तत्काल जाच-पड़ताल शुरू कर दी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर, आगे की आवश्यकता कार्रवाई शुरू की जाती है ।

Improvement in the conditions of Mental Hospital Sahadara

1295. SHRI CHATURANAN MISHRA Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether any representation was given to him by the Staff Union of Mental Hospital, Shahdara, Delhi when we visited the hospital on 20th December, 1990;

(b) if so, what are the main points contained therein; and

(c) what steps have been taken to meet their demands and to provide better facilities to the patients?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (PROF SHAKEELUR REHMAN): (a) to (c) The mater is being looked into in consultation with the Delhi Administration.